North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Unemployment Insurance

999999

DETERMINATION OVERPAYMENT

मेल की दिनांक: 24 फरवरी, 2017

Susan Doe
888 North 10th Street
Siler City, NC 27344

दावेदार आईडी: 1234567

भुगतान का निर्धारण

मामला आईडी : <Issued ID>
दावेदार आईडी : 1234567

आपके दावे की समीक्षा के आधार पर, यह निर्धारित किया गया था कि आपको बेरोजगारी बीमा के वो लाभ प्राप्त हुए थे, जिनके आप हकदार नहीं थे। **लाभ का यह अधिक भुगतान, पिछले निर्णय में होने वाले परिवर्तन के कारण हुआ जिसमें आपको लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य और/या अयोग्य ना होना घोषित नहीं किया गया था। अधिक भुगतान का यह निर्धारण अपील करने योग्य नहीं है।** यदि आप इस अधिक भुगतान की राशि के फैसले को अंतिम फैसला बनने से पहले इस पर मामला दर्ज करना चाहते हैं, तो आपको उस निर्णय को अपील करना चाहिए जिसमें आपनको अपात्र और/या अयोग्य घोषित किया था। अपील दायर करने की प्रक्रिया और समय सीमा का विवरण निर्धारण के साथ मेल की गई पुस्तिका में दिया गया है।

अधिक भुगतान राशि: <अधिक भुगतान राशि> पहला
अधिक भुगतान का सप्ताह: <पहला अधिक भुगतान का सप्ताह>अंतिम अधिक
भुगतान का सप्ताह: <अंतिम अधिक भुगतान का सप्ताह >

अधिक भुगतान की वसूली

N.C. जनरल स्टेट § 96-18(g)(3) के अनुसार, विभाग निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से एक या अधिक के द्वारा भुगतान का संग्रह कर सकता है:

लाभ समंजन

भविष्य में आपको दिये जाने वाले किसी भी लाभ से को काट कर अधिक भुगतान वसूल किया सकता है। आपके साप्ताहिक लाभ राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत घटाया जा सकता है जब तक कि अधिक भुगतान पूरा ना हो जाये या जब तक कि आप का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता, जो भी पहले हो।

कर-समंजन

विभाग फेडरल टैक्स रिफंड, स्टेट टैक्स रिफंड या लॉटरी विंनिंस के माध्यम से वसूली कर सकता है।

ओवरपेमेंट की छूट

किसी वैध कारण देने पर पूरे या आंशिक रूप से दिया कोई भी अधिक भुगतान को जो कि गैर-धोखाधड़ी के लिए निर्धारित हो, को DES माफ़ कर सकता है। आप इस अधिक भुगतान की छूट के लिए केवल एक बार ही अनुरोध कर सकते हैं। आपका अनुरोध लिखित में होना चाहिए और आपके द्वारा आधार(रों) के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और आपका अनुरोध सभी प्रमाण या दस्तावेजों के साथ समर्थित होना चाहिए। DES द्वारा किसी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि अधिक भुगतान की वजह से आने वाला निर्णय अपील के अधीन हो। जब छूट के लिए अनुरोध किया जाता है, तब अपील दर्ज करने का अधिकार खत्म हो जाता है।